संख्या-**4/5642/12-3-2013-100(27)/2013**

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल**,**
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक**,**
उत्तर प्रदेश, **लखनऊ।**

कृषि अनुभाग**-3** लखनऊ: दिनांक: **7** जनवरी**, 2014**

विषय- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत संचालित न्यूट्री फार्म योजनान्तर्गत वर्ष 2013-14 में अवमुक्त धनराशि में से रू0-74700 हजार की धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्थाओं/कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों को उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-जे.डी.ए.(एस.)-262/एन.एफ.-14/2013-14, दिनांक 16.12.2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत संचालित न्यूट्री फार्म योजनान्तर्गत वर्ष 2013-14 में शासनादेश संख्या-2549/12- 3-2013-100(13)/2013, दिनांक 3.7.2013 द्वारा अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-2401- फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-03-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-0305-कृषि विकास योजनायें के अन्तर्गत मानक मद-42-अन्य व्यय में रू0-280800 हजार (रू0 अठ्ठाइस करोड़ आठ लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गयी है। उक्त धनराशि में से निम्न विवरण के अनुसार कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों को रू0-74700 हजार (रू0 सात करोड़ सैंतालिस लाख मात्र) की धनराशि आहरित कर उपलब्ध कराये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र.सं.	**विश्वविद्यालय**	**बजट का आवंटन (हजार रू0 में)**
1	चन्द्रशेखर आजाद, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर।	18900
2	नरेन्द्र देव, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद।	25200
3	सरदार वल्लभ भाई पटेल, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,	16800

http://shasanadesh.up.nic.in

	मोदीपुरम्, मेरठ।	
4	सैम हिग्गिंनबाटम, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नॉलाजी एण्ड साइन्स, नैनी, इलाहाबाद।	13800
	योग	**74700**

(रू0 सात करोड़ सैंतालिस लाख मात्र)

3- कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा उक्त धनराशि न्यूट्री फार्म योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइड लाइन/अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार व्यय की जायेगी तथा धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित समय से नोडल विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- यह ओदश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-1-5-/दस-2014, दिनांक 6.1.2014 मे प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(इन्द्रदेव पटेल **)**
संयुक्त सचिव।

सं**0-5642(1)/12-3-2013-**तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4- संयुक्त सचिव (आर.के.वी.वाई.) भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5- अवर सचिव (आर.के.वी.वाई.) भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
6- निदेशक, आर के. वी. वाई., भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, (आर.के.वी.वाई. सेल) कृषि भवन, नई दिल्ली।
7- कुलपति, चन्द्रशेखर आजाद, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर, नरेन्द्र देव, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मोदीपुरम्, मेरठ, सैम हिग्गिंनबाटम, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नॉलाजी एण्ड साइन्स, नैनी, इलाहाबाद।
8- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

http://shasanadesh.up.nic.in

9- वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

10- नोडल अधिकारी, आर.के.वी.वाई., कृषि भवन, लखनऊ।

11- वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3

12- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(इन्द्रदेव पटेल)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in